>

Title: Alleged lathi charge by the police on the students staging peaceful demonstration in Central University, Allahabad.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Law and order is a State subject and police is a State subject. How can you bring those subjects into this? Tell me.

श्री जगदम्बिका पाल : सभापति जी, मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रयाग की बात कर रहा हूँ जिस विश्वविद्यालय ने आज़ादी के मुजाहिदों को पैदा किया, जिसने देश को एक नहीं, कई प्रधान मंत्री दिये हैं। लिंगदोह कमेटी ने भी फैसला किया है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रसंघों का गठन होगा।

सभापति जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ के छात्रों द्वारा लगातार विश्वविद्यालय में छात्रसंघ के गठन की मांग की जा रही है। उस मांग को लेकर वाइस चांसलर और केन्द्र के एचआरडी मिनिस्टर से भी मांग की गई। उन्होंने वायदा भी किया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वह मांग नहीं मानी गई। एक दिन विश्वविद्यालय के छात्र शांतिपूर्ण ढंग से वाइस चांसलर को ज्ञापन देने के लिए निकले, लेकिन जिस प्रकार राज्य सरकार की पुलिस ने उन पर 13 धाराएँ लगाई और बर्बर लाठीचार्ज किया, आज भी वे छात्र नैनी जेल में बंद हैं। यह सवाल स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। यह सवाल है कि जो प्रजातंत्र की नर्सरी रही हो, जहाँ आनन्द भवन या स्वराज भवन से आज़ादी की चिंगारी निकली हो, उस हिन्दुस्तान की तवारिखी सरज़मीं के विश्वविद्यालय के छात्रों पर पर गुनाह यह है कि वे छात्रसंघ की मांग कर रहे हैं जो आज उनका हक है। इस सरकार ने और लिंगदोह कमेटी ने भी रिकमण्डेशन्स की हैं तो मैं मांग करता हूं कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव श्री मोहित शर्मा, श्री दिनेश यादव और हमारे कई छात्र अवनीश काजिला, विनोद तिवारी और अमित सिंह जी पिछले कई दिनों से बेगुनाह होते हुए भी जेल में बंद हैं। उन पर विभिन्न धाराएं लगायी गई हैं। राज्य सरकार उनके साथ बदले की भावना से काम कर रही है। निश्चित रूप से यह गंभीर मामला है, इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस मामले पर आकृष्ट करता हूं।